न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
ऑगनवाड़ी वाद संख्या–75/10–11
रंजू देवी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य

| आदेश की क्रम संख्या और तारिख : | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित |
|---|---|---|
| 06/02/15 | **आदेश**<br>अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदिका रंजू देवी पत्नी राम दयाल शर्मा, ग्राम–बरहेता, पंचायत–खराजपुर, प्रखण्ड–बहादुरपुर की ओर से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–6275/2010 रंजू देवी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–09.12.10 को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ वाद आवेदन दाखिल किया गया। आवेदिका द्वारा दाखिल वाद आवेदन पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बहादुरपुर से प्रतिवेदन की मॉग की गयी। बाल विकास परियोजना बहादुरपुर द्वारा पत्रांक–334 दिनांक–07.05.2011 से प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो अभिलेख पर संधारित है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा के द्वारा पत्रांक–482 दिनांक–29.03.2011 से आवेदिका रंजू देवी से संबंधित संचिका प्राप्त हुआ है।<br>वाद आवेदन के समर्थन में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम पंचायत राज खराजपुर के ग्राम–बरहेता मदरसा ऑगनवाड़ी केन्द्र संख्या–168 नव सृजित ऑगनवाड़ी केन्द्र की सेविका एवं सहायिका के चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। आवेदित अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की गयी। मेधा सूची में आवेदिका प्रथम स्थान पर थी। तत्कालीन पंचायत सचिव की गलत मंशा की सिद्धि नही होने के कारण आवेदिका को चयन पत्र नही दिया गया। आवेदिका के ससुर राम चरण शर्मा का नाम पोषक क्षेत्र के सर्वे सूची में क्रमांक–37 पर अंकित है। आवेदिका का नाम मेधा सूची के क्रमांक–01 पर रहने के बाद भी पंचायत सचिव द्वारा चयन पत्र निर्गत नही किया गया। दिनांक–29.05.07 को सेविका/सहायिका चयन हेतु आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें आवेदिका को सर्व सम्मति से चयन होने के बाद भी पंचायत सचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही अंकित नही किया गया। उनका यह भी कहना है कि तत्कालीन पंचायत सचिव की अचानक मृत्यु हो गयी जिस कारण न तो कार्यवाही अंकित हो सकी और न ही विभाग द्वारा सेविका को चयन पत्र निर्गत नही किया गया। उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदिका के सेविका पद पर चयन हो जाने के कारण चयन पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया।<br>बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बहादुरपुर के पत्रांक–334 दिनांक–04.05.2011 के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत वाद नवसृजित केन्द्र बरहेता | |

मदरसा केन्द्र संख्या–168 पंचायत खराजपुर से संबंधित है। उक्त केन्द्र अल्पसंख्यक बाहुल्य पोषक क्षेत्र वाला है। पंचायत कार्यालय से प्राप्त मेधा सूची में ऑगनवाड़ी सेविका पद हेतु कुल पॉच अभ्यर्थियों का नाम मेधा सूची में दर्ज किया गया जिसमें आवेदिका रंजू दवी, पति–राम दयाल शर्मा (पिछड़ी जाति) प्रथम स्थान पर है। बाहुल्य वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग) से मेधा सूची में एक भी आवेदिका का नाम नही है। दिनांक–29.05.07 को सेविका/ सहायिका चयन हेतु आम सभा में श्रीमती गीता कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका प्रतिनियुक्त थी जिनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आम सभा में एक भी आवेदन अल्पसंख्यक वर्ग से नही रहने पर चर्चा होने पर मुखिया द्वारा बताया गया कि एक आवेदिका है, जिसका आवेदन पंचायत सचिव द्वारा नही लिया गया है। आम सभा में ही उक्त मुस्लिम आवेदिका शहनाज प्रवीण, पति–मो0 शकील को बुलाया गया तथा पुरे जन समर्थन के आधार पर उनके चयन की घोषणा की गयी। उनके कार्यालय पत्रांक–330 दिनांक–21.07.08 द्वारा मुखिया/ पंचायत सचिव, खराजपुर से चयनित सेविका/सहायिका का नामांकन पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। परंतु, कार्यालय पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज, खराजपुर के द्वारा उनके पत्रांक–1 दिनांक–05.09.09 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त केन्द्र पत्र सेविका /सहायिका का आम सभा द्वारा चयन नही हुआ है। उक्त परिस्थिति में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय पत्रांक–422 दिनांक–18.09.09 के द्वारा उक्त केन्द्र हेतु सेविका / सहायिका पद के लिए नये सिरे से आवेदन लेने तथा मेधा सूची तैयार करने का अनुरोध संबंधित पंचायत सचिव से किया जिसका अनुपालन लंबित है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि वर्ष–2007 में सेविका चयन हेतु तैयार मेधा पंजी के आधार पर बिना समुचित साक्ष्य के 07 वर्ष बीत जाने के बाद किसी का चयन किया जाना विधि सम्मत नही है जिस कारण आवेदिका द्वारा दाखिल वाद आवेदन स्वीकार योग्य नही है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ऑगनवाड़ी केन्द्र बरहेता मदरसा केन्द्र संख्या–168 पर दिनांक–29.05.2007 को आयोजित आम सभा में किसी का अंतिम रूप से चयन नही किया गया। अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्ग का केन्द्र होने के कारण अपीलार्थी के नाम का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा नही किया गया। बल्कि इसके विपरित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन में मुखिया के द्वारा आम सभा में एक अल्पसंख्यक आवेदिका के नाम का प्रस्ताव एवं चयन होने की बात बतायी गयी है। परंतु, अंतिम रूप से इस संबंध में न तो कोई साक्ष्य है और न हीं कोई दावा प्राप्त है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त मेधा सूची पर न तो वर्त्तमान

अपीलार्थी का चयन हुआ और न ही किसी अन्य अभ्यर्थी का। बाहुल्यता के आधार पर भी अपीलार्थी का चयन उचित प्रतीत नही होता है । साथ ही मेधा सूची भी तीन वर्ष से अधिक पुरानी है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद भी किसी भी अल्पसंख्यक का आवेदन प्राप्त नही होने से स्पष्ट है कि केन्द्र रिक्ति का प्रचार–प्रसार पोषक क्षेत्र में नही किया गया।

अतएव उपरोक्त विवेचना के आलोक में आवेदिका द्वारा दाखिल वाद आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है, तदनुसार उनके द्वारा दायर आवेदन खारिज किया जाता है तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बहादुरपुर /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा को आदेश दिया जाता है कि ऑगनवाड़ी केन्द्र बरहेता मदरसा केन्द्र संख्या–168 पर अद्यतन विभागीय मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में एक माह के भीतर सेविका का चयन कर केन्द्र संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 वाद संख्या–6275/10 रंजू देवी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–09.12.10 को पारित आदेश के अनुपालन में यह वाद निष्पादित किया जाता है।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।